जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को जारी रखने के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश

जयपुर, 28 अगस्त। जयपुर विद्युत वितरण निगम की आईटी शाखा के एक महत्वपूर्ण टैंडर ''रेवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम'' को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने के आदेश 27 अगस्त को जारी कर दिये है।

इस टैंडर के सम्बन्ध में एक जनहित याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर की गई थी। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर, 2017 में इस रैवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम को रोकने का आदेश पारित किया था। जयपुर डिस्कॉम द्वारा इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जिसमें निगम द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अगस्त, 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान इस प्रोजेक्ट को जनहित में मानते हुए पूर्व में दिसम्बर, 2017 में दिये गये स्थगनादेश को आगामी सुनवाई तक जारी रखने का फैसला दिया हैं। इस निर्णय से जयपुर डिस्कॉम में बिलिंग एवं अन्य सम्बन्धित कार्य में बाधा समाप्त हो गई है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 807/2018